

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या - 26/2022
जीसीएमएस नम्बर - 2022/69

शकुन्तला देवी पुत्री भगवानसिंह जाति राजपुत निवासी रायली तहसील बुहाना हाल क्यामसर तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं जरिये मुख्यार खास मोहिन्द्रसिंह पुत्र बच्चनसिंह राजपुत क्यामसर तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं राज0।

.....वादी

बनाम

1. हिम्मतसिंह पुत्र सुमनसिंह जाति राजपुत निवासी रायली तहसील बुहाना।
2. नरसी सिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपुत निवासी रायली तहसील बुहाना।
3. बीना पुत्री सुगनसिंह पत्नी सुनील सिंह जाति राजपुत निवासी रायली तहसील बुहाना हाल सोहासडा तहसील लुहारू जिला भिवानी हरियाणा।
4. मिकी पुत्री सुगनसिंह पत्नी सुभाष जाति राजपुत निवासी रायली तहसील बुहाना हाल आबाद सोहासडा तहसील लुहारू जिला भिवानी हरियाणा।
5. मंजू देवी पुत्री सुगनसिंह पत्नी प्रेमसिंह जाति राजपुत निवासी रायली तहसील बुहाना हाल निवासी श्याम नगर गुढा रोड झुंझुनूं।
6. सुशीला पुत्री सुगनसिंह पत्नी विनोदसिंह जाति राजपुत निवासी रायली तहसील बुहाना हाल निवासी श्याम नगर गुढा रोड झुंझुनूं।
7. अहमदखान पुत्र पुत्र मोहम्मद खान जाति तेली निवासी झारोडा तहसील बुहाना।
8. रसीद खान पुत्र अली मोहम्मद खान जाति तेली निवासी झारोडा तहसील बुहाना।
9. कमलसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी झारोडा तहसील बुहाना।
10. धीसाराम पुत्र ईश्वर जाति जाट निवासी झारोडा तहसील बुहाना।
11. प्रेमप्रकाश पुत्र रामेश्वरलाल जाति खाती निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना।
12. राजकुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति खाती निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना।
13. राजबाला पत्नी सुरतसिंह जाति जाट निवासी कुहाडवास तहसील बुहाना।
14. मधु पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति राजपुत निवासी रायली तहसील बुहाना।
15. रितेश पुत्र दुगौप्रसाद जाति महाजन निवासी कुहाडवास तहसील बुहाना।
16. शिल्पा पत्नी मनोज कुमार जाति महाजन निवासी कुहाडवास तहसील बुहाना।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

17. रमेश कुमार पुत्र छोटूराम जाति मेधवाल निवासी कुहाडवास तहसील बुहाना।
18. शीशराम पुत्र मातुराम जाति जाट निवासी कुहाडवास तहसील बुहाना।
19. सत्यभामा पत्नी प्रताप नारायण जाति ब्राहमण निवासी नानवास तहसील बुहाना।
20. उपपंजीयक बुहाना तहसील बुहाना।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत -खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 9/5/22

(1). वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि-

- (क) कि वाके ग्राम रायली स्थित भूमि हाल जमाबंदी सं. 2075-78 खाता संख्या 53 के खसरा नम्बर 142/8 रकबा 3.62 है. में वादीया के 61/181 भाग अर्थात 1.22 है. भूमि का जो दक्षिण दिशा की तरफ का हिस्सा जिसे नजरी नक्शे लाल सुर्ख से दर्शाया गया का खाता विभाजन किया जाकर खाता अलहेदा किया जावे व लगान भी अलग से कायम किया जावे।
- (ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम रायली तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 142/8 रकबा 3.62 है. में वादीया के हिस्से में आई हुई भूमि जिसमें वादीया ने चने की फसल उगा रखी है में वादीया व उसके पुत्रों का प्रवेश करने से ना रोके व वादीया की चने की फसल को नष्ट ना करे, फसल की रखवाली निगरानी व सार सम्भाल करने में दखल पैदा ना करे व इस भूमि में खड़े पेड़ों को ना काटे व ना ही छांगे व वादीया द्वारा अपनी फसल की कटाई आदि में भी अवरोध पैदा ना करे व इस भूमि के किसी भाग व हिस्से का रहन, दान , बैचान ना करे व ना ही किसी को अनाधिकृत कब्जा कराने में सहायोग करे व प्रतिवादी संख्या 20 को पाबंद किया जावे कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 142/8 रकबा 3.62 है. जो ग्राम रायली में स्थित है के किसी भाग या हिस्से का रहन, दान बैचान पत्र का तस्दीक ना करे।
- (ग) कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे।
- (घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो अयाचित रह गया हो वादीगण को दिलवाया जावे।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 6 की ओर से जबाव दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित भूमि में अपने दर्ज हिस्से कब्जकास्त अनुसार खाता विभाजन किये जाने की सहमति

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

जाहिर की गई है। शेष प्रतिवादीगण बाबवजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्बत् 2075-78, नकल नक्शा किशतवार पेश किए गए।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 25.03.2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 12.04.2022 को प्राप्त हुई। उभय पक्षकरान ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर लिखित में राजीनामा पेश कर निवेदन किये हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय वाद वादी एवं प्रतिवादा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बाबत खाता विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रायली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज में स्थित जमाबंदी सम्बत् 2075 से 2078 के खाता सं. 148/६ रकबा 3.62 है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 9/5/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनू (राज.)

पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 26/2022
निर्णय दिनांक:- 09.05.2022

शकुन्तला बनाम हिम्मत सिंह आदि

दावा बाबत -खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादीया की ओर से स्वयं उपस्थिति मे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की और से स्वयं प्रतिवादीगण उपस्थित में तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.05.2022 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“ न्यायालय वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बाबत खाता विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रायली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज में स्थित जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 148/8 रकबा 3.62 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काशतकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 09.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना